

अनुदान संख्या 4 - आयुष मंत्रालय
GRANT No. 4 - MINISTRY OF AYUSH

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	3641,56,00	3641,60,00	2912,58,55	-729,01,45
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				720,80,42
पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत—	Voted-		5,94,00	3,72,17	-2,21,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,07,08

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	4474.00	5128.85	5081.43	-47.42
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	653.85			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “2210” चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Major Head “2210” Medical and Public Health			
मू.	O.	235009.00		
पू.	S.	2.00	201637.93	200865.84
पु.	R.	-33373.07		-772.09
मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas			
मू.	O.	23073.00		
पू.	S.	1.00	1.00	..
पु.	R.	-23073.00		-1.00
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	92000.00		
पु.	R.	-14395.65	77604.35	77603.84
				-0.51
मुख्य शीर्ष “3602” विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3602” Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	9600.00		
पु.	R.	-1892.55	7707.45	7707.44
				-0.01

(I) नौ शीर्षों के अन्तर्गत ₹23289.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹22193.33 लाख मुख्य शीर्ष “2252” के अन्तर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य प्रणालियां—अन्य प्रणालियां –राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)” – ₹12000.00 लाख;

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य प्रणालियां” –

(क) “उत्तर पूर्व का आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग” – ₹6323.00 लाख; और

(ख) “पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासिघाट” – ₹3870.33 लाख (₹0.33 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/ योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2210” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:—

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य प्रणालियां” –

(क) “निर्देशन और प्रशासन” –

(i) “सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय” – ₹788.10 लाख की बचत (₹4100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थी संगठन से सूचना, संचार और शिक्षा स्कीम

(I) Provision of ₹23289.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilised under nine heads, of these ₹22193.33 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads:-

(A) “Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems - National AYUSH Mission (NAM)” - ₹12000.00 lakhs;

(B) “Medical Education, Training and Research - Other Systems” -

(a) “North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong” - ₹6323.00 lakhs; and

(b) “North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research, Passighat” - ₹3870.33 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.33 lakh).

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2210” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Urban Health Services - Other Systems of Medicine” -

(a) “Direction and Administration” -

(i) “Expenditure on Information, Education & Communication” - saving of ₹788.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4100.00

के अनुसार पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(ii) “अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन” – ₹2141.83 लाख की बचत (₹4427.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्तर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाने के कारण हुई।

(iii) “आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (ए. ओ. जी. यू. एस. वाई.)” – ₹840.62 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई, और

(ख) “अन्य प्रणालियां” –

(i) “औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन संबंधी केंद्रीय क्षेत्रों की स्कीम” – ₹2395.91 लाख की बचत (₹4249.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) “राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन. ए. एम.)” – ₹4780.57 लाख की बचत (₹6400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को पूरा नहीं किए जाने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कमी के कारण हुई।

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान” –

lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals as per Information, Education and Communication scheme from the beneficiary organisation.

(ii) “Promotion of International Cooperation” - saving of ₹2141.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4427.00 lakhs) was due to non-organising of International Yoga Conference.

(iii) “Ayush Oushadhi Gunvatta evum Uttapadan Samvardhan Yojana (AOGUSY)” - saving of ₹840.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(b) “Other Systems” -

(i) “Central Sector Scheme for Conservation, Development and Sustainable Management of Medicinal Plants” - saving of ₹2395.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4249.00 lakhs).

(ii) “National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹4780.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6400.00 lakhs) was due to release of less funds to States/Union Territories owing to non-fulfillment of scheme guidelines issued by the Ministry of Finance.

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Medical Education, Training and Research” -

(क) “आयुर्वेद” –

(i) “राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान” – ₹8574.34 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.11 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹24505.11 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन. आई. ए., पंचकुला परियोजना के कार्य की धीमी प्रगति होने और रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(ii) “आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान” – ₹513.11 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.11 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15013.11 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पूंजीगत कार्यों को मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई।

(ख) “होम्योपैथी – राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान” – ₹2490.26 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10859.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में संविदागत स्टाफ को नियुक्त किए जाने और रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(ग) “यूनानी – राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलुरु को अनुदान” – ₹7712.50 लाख की बचत (₹16130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गाजियाबाद/बंगलुरु में निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान (एन. आई. यू.एम.), गाजियाबाद में संकाय सदस्यों की नियुक्ति में देरी होने के कारण हुई।

(a) “Ayurveda” -

(i) “Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur” - saving of ₹8574.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹24505.11 lakhs including token supplementary grant of ₹0.11 lakh obtained in December, 2023) was due to slow progress of work of NIA, Panchkula project and non-filling up of vacant posts.

(ii) “Institute of Teaching & Research in Ayurveda” - saving of ₹513.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15013.11 lakhs including token supplementary grant of ₹0.11 lakh obtained in December, 2023) was due to non-approval of capital works of the institute.

(b) “Homoeopathy - Grants to National Institute of Homoeopathy, Kolkata” - saving of ₹2490.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10859.06 lakhs including token supplementary of ₹0.06 lakh obtained in December, 2023) was due to non-filling up of vacant posts and hiring of less contractual staff.

(c) “Unani - Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore” - saving of ₹7712.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16130.00 lakhs) was due to slow progress of construction work at Ghaziabad/Bangaluru and delay in appointment of faculty members in National Institute of Unani Medicine (NIUM), Ghaziabad.

- (घ) “सिद्ध – राष्ट्रीय सिद्ध चिकित्सा संस्थान, चेन्नई को अनुदान” – ₹2817.06 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9494.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान की परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई।
- (द) “Siddha - Grants to National Institute of Siddha, Chennai” - saving of ₹2817.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9494.06 lakhs including token supplementary grant of ₹0.06 lakh obtained in December, 2023) was due to non-approval of construction projects of the institute.
- (ङ) “अन्य प्रणालियां” –
- (e) “Other Systems” -
- (i) “केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा परिषद को अनुदान” – ₹6053.50 लाख की बचत (₹10357.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिषद के तीन नए केंद्रों को मंजूरी नहीं मिलने के कारण हुई।
- (i) “Grants to Central Council for Research in Yoga & Naturopathy” - saving of ₹6053.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10357.00 lakhs) was due to non-approval of three new Centers of the Council.
- (ii) “राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान” – ₹645.00 लाख की बचत (₹3430.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एन. आई. एस. ए. आर. जी. ए. आर. ए. एम. परियोजना के पूरा नहीं होने और कम संख्या में नियमित पदों की स्वीकृति मिलने के कारण हुई।
- (ii) “Grants to National Institute of Naturopathy, Pune” - saving of ₹645.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3430.00 lakhs) was due to non-completion of NISARGRAM Project and approval of less regular posts.
- (iii) “मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को अनुदान” – ₹6843.06 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9543.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की अव्ययित राशि की उपलब्धता होने के कारण हुई।
- (iii) “Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga” - saving of ₹6843.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9543.06 lakhs including token supplementary of ₹0.06 lakh obtained in December, 2023) was due to availability of unspent balances of previous year.
- (iv) “राष्ट्रीय सोवा रिगपा (एन. आई. एस. आर.)” – ₹878.06 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त ₹0.06 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3802.06 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत कार्य को प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिलने और रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।
- (iv) “National Institute of Sowa Rigpa (NISR)” - saving of ₹878.06 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3802.06 lakhs including token supplementary grant of ₹0.06 lakh obtained in December, 2023) was due to non-receipt of administrative

approval of capital work and non-filling up of vacant posts.

(v) “चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना” – ₹1500.75 लाख की बचत (₹2168.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(v) “Champion Services Sector Scheme” - saving of ₹1500.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2168.00 lakhs) was due to receipt of less proposals.

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित स्कीम” – के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:-

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन. ए. एम.)” – ₹8290.16 लाख की बचत (₹75300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) “Central Assistance/Share - National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹8290.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75300.00 lakhs);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन. ए. एम.)” – ₹4182.00 लाख की बचत (₹10700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹4182.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10700.00 lakhs); and

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन. ए. एम.)” – ₹1924.00 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) “Tribal Area Sub-Plan - National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹1924.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के तहत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी योजना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकारों को कम मात्रा में निधियां जारी किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to release of less funds to State Governments owing to non-fulfillment of scheme guidelines issued by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजना – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन. ए. एम.)” के अन्तर्गत – ₹1892.56 लाख की बचत (₹9600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों को संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरा नहीं किए जाने के कारण कम निधियां जारी करने के कारण हुईं।

(IV) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National AYUSH Mission (NAM)” - saving of ₹1892.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9600.00 lakhs) was due to release of less funds to Union Territories owing to non-fulfillment of scheme guidelines issued by the Ministry of Finance.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹11790.19 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिसंबर, 2023

2.(I) The above savings were partly (₹11790.19 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament

और फरवरी, 2024 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – आयुष मंत्रालय” – ₹653.85 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹606.43 लाख हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2210” –

(क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – चिकित्सा की अन्य प्रणालियां – आयुर्वेद” –

(i) “अखिल भारतीय आयुर्वेद (ए. आई. आई. ए.) संस्थान, नई दिल्ली” – ₹4503.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4502.94 लाख हुआ।

(ii) “भारतीय चिकित्सा प्रणाली राष्ट्रीय आयोग (एन. सी. आई. एस. एम.)” – ₹355.01 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹354.94 लाख हुआ।

(ख) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान” –

(i) “आयुर्वेद – केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान” – ₹1599.53 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1599.27 लाख हुआ।

(ii) “अन्य प्रणालियां” –

(1) “आयुर्विज्ञान” – ₹598.54 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹598.53 लाख हुआ।

(2) “आयुस्वास्थ्य योजना” – ₹1482.76 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1482.75 लाख हुआ।

while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads:-

(A) Major Head “2251” - “Secretariat - Ministry of Ayush” - ₹653.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹606.43 lakhs.

(B) Major Head “2210” -

(a) “Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Ayurveda” -

(i) “All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi” - ₹4503.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4502.94 lakhs.

(ii) “National Commission for Indian System of Medicine (NCISM)” - ₹355.01 lakhs. Actual excess, however, was ₹354.94 lakhs.

(b) “Medical Education, Training and Research” -

(i) “Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences” - ₹1599.53 lakhs. Actual excess, however, was ₹1599.27 lakhs.

(ii) “Other Systems” -

(1) “Ayurgyan” - ₹598.54 lakhs. Actual excess, however, was ₹598.53 lakhs.

(2) “Ayurswasthya Yojana” - ₹1482.76 lakhs. Actual excess, however, was ₹1482.75 lakhs.

(3) “उत्तर पूर्व आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट” – ₹2257.50 लाख।

(3) “North Eastern Institute of Ayurveda and Folk Medicine Research, Passighat” - ₹2257.50 lakhs.

(iii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद” – ₹340.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹339.93 लाख हुआ।

(iii) “Tribal Area Sub-Plan - Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences” - ₹340.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹339.93 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2210” – “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – अन्य प्रणालियां – पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग” – के अन्तर्गत उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों को मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुए ₹4163.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2210” - “Medical Education, Training and Research - Other Systems - North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong” - excess of ₹4163.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.